

संचालनालय आयुष, मध्यप्रदेश

(भूतल "डी" विंग, सतपुड़ा भवन, भोपाल-462004)

www.ayush.mp.gov.in

Email:dirsthapna2ayush.mp@mp.gov.in

Office (0755)2552830

Fax (0755)2760225,2551527

क्रमांक / 2024 / 2 / स्था. / 1768-71

भोपाल, दिनांक 31 / 05 / 2024

आयुष विभाग अंतर्गत होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी की नियुक्ति के संबंध में

आवश्यक सूचना

म.प्र. लोक सेवा आयोग द्वारा संचालनालय आयुष के अधीन रिक्त पदों की पूर्ति हेतु जारी विज्ञापन के अंतर्गत होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारियों के पदों की सीधी भर्ती हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा - 2021 का अंतिम परिणाम दिनांक 15.05.2024 को घोषित हुआ।

प्रावीण्य सूची अनुसार चयनित अभ्यर्थियों के सत्यापित रजिस्ट्रेशन का सत्यापन, प्रमाण पत्रों की जांच, चरित्र सत्यापन संबंधी शपथ पत्र, जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन, मूल निवासी प्रमाण पत्र एवं समस्त शैक्षणिक दस्तावेजों/अभिलेखों के सत्यापन दिनांक 06.06.2024 को किया जायेगा।

आयुष विभाग की वेबसाइट पर प्रदर्शित चेक लिस्ट अनुसार मूल दस्तावेजों सहित पंडित खुशीलाल शर्मा शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय संस्थान एवं चिकित्सालय, एम.ए. सी.टी. के पीछे, साइन्स हिल्स, कलियासोत डेम के पास, से नेहरू नगर, कोलार बायपास रोड, भोपाल म.प्र. में दिनांक 06.06.2024 को प्रातः 10.00 बजे अभ्यर्थी उपस्थित रहे।

उक्तानुसार अभ्यर्थियों के सहयोग के लिये हेल्पडेस्क नंबर 9407101108 डॉ. निधि गुप्ता प्रभारी उप संचालक, संचालनालय आयुष पर संपर्क करे।

विस्तृत सूचना विभागीय वेबसाइट www.ayush.mp.gov.in पर उपलब्ध है, नियुक्ति एवं च्वाइस फिलिंग की जानकारी प्राप्त करने के लिये समय-समय पर विभागीय वेबसाइट को देखते रहें।

(सोनाली पौक्षे वायंगणकर)

वि.क.अ. सह आयुक्त

संचालनालय, आयुष

चेक लिस्ट

क्रमांक	अभिलेख
1.	शैक्षणिक योग्यता- माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा जारी हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी स्कूल सर्टिफिकेट की अंकसूची।
2.	विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति में एन.सी. एच/सी.सी.एच (NCH/CCH) द्वारा मान्य स्नातक उपाधि।
3.	म.प्र. राज्य होम्योपैथी परिषद् बोर्ड का स्थाई जीवित पंजीयन। फार्म भरने की अंतिम तिथि 14.02.2022 की स्थिति में।
4.	ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक इंटर्नशिप पूर्ण प्रमाण पत्र, फार्म भरने की अंतिम तिथि 14.02.2022 की स्थिति में।
5.	अभ्यर्थियों का म.प्र. राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। फार्म भरने की अंतिम तिथि 14.02.2022 की स्थिति में।
6.	जाति प्रमाण पत्र।
7.	स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु आरक्षित पद केवल म.प्र. के मूल निवासी अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित है।
8.	26 जनवरी 2001 के बाद तीसरी संतान होने के संबंध में नोटराईज्ड शपथ पत्र।
9.	आधार कार्ड/वैध परिचय पत्र।
10.	अनुप्रमाणन फार्म (पुलिस चरित्र सत्यापन हेतु) 100 रुपये राशि के स्टांप पर शपथ पत्र सहित। (प्रारूप संलग्न) दो प्रतियों में।
11.	पासपोर्ट साईज फोटो 04।
12.	समस्त अभिलेखों के दो सेल्फ अटेस्टेड सेट।

Nidhi Gupta
31/5/24
(डॉ. निधि गुप्ता)
प्रभारी उप संचालक
संचालनालय, आयुष

मध्यप्रदेश लोकसेवा आयोग म.प्र. द्वारा जारी चयनित अभ्यर्थी अभिलेखों के सत्यापन हेतु शपथ-पत्र (रूपये 100) का संलग्न करेगे।

शपथ-पत्र का प्रारूप

शपथ-पत्र

मैं....., उम्र....., पुत्र/पुत्री/ पत्नी श्री.....
निवासी..... निम्नलिखित कथन शपथ पूर्वक करता/करती हूँ-

- 1/ मेरा चयन..... के पद पर हुआ है।
- 2/ यह कि मेरा चरित्र उत्तम है।
- 3/ यह कि मुझे आज दिनांक तक किसी भी आपराधिक मामले में गिरफ्तार नहीं किया गया है।
- 4/ यह कि मुझ पर आज दिनांक तक किसी भी पुलिस थाने या न्यायालय में भारतीय दण्ड संहिता अथवा अन्य किसी विधि के अधीन किसी भी प्रकार का कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं हुआ है न ही कोई मामला लंबित है।
- 5/ यह कि आज दिनांक तक मुझे किसी भी अपराध के लिये न्यायालय द्वारा दोषी नहीं ठहराया गया है और न ही शासकीय सेवा में चयन हेतु वर्जित किया गया है।
- 6/ यह कि आज दिनांक तक मुझे किसी भी विद्यालय / महाविद्यालय या किसी भी अन्य शैक्षणिक प्राधिकरण / संस्था द्वारा किसी भी परीक्षा में बैठने से वर्जित नहीं किया गया है और न ही निष्कासित किया गया है।
- 7/ यह कि मैंने भर्ती प्रक्रिया में जो भी जानकारियों दी है और जो दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं वे पूर्णतः सही एवं सत्य हैं।
- 8/ यह कि यदि मेरे द्वारा जो जानकारियों दी गई है और जो दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं यदि उनमें कोई भी जानकारी / दस्तावेज असत्य पाये जाते हैं तो मेरी सेवा तत्काल समाप्त की जा सकेगी तथा मेरे विरुद्ध असत्य शपथ-पत्र प्रस्तुत करने के लिये भी आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जा सकेगा जो कि मुझे स्वीकार एवं मान्य होगा।
- 9/ मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि यदि मेरा नियुक्ति आदेश चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किया जाता है और यदि चरित्र सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होने पर मुझे शासकीय सेवा के अयोग्य पाया जाता है तो मेरी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त मेरी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व मेरा होगा।

शपथग्रहिता

॥ सत्यापन ॥

मैं.....(शपथग्रहिता) सत्यापित करता/करती हूँ कि इस शपथ पत्र की कंडिका क्रमांक-1 लगायत 9 में दी गई सभी जानकारियों मेरे ज्ञान व विश्वास के अनुसार सत्य एवं सही है। जिनका सत्यापन आज दिनांक..... को..... किया गया।

शपथग्रहिता